



## सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

### छात्रसंघ निर्वाचन (सत्र 2013-14)

#### अधिसूचना

छात्र संघ निर्वाचन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2311/सत्तर-1-15 (12) (11) 94, दिनांक 21 जनवरी, 2000 तदनुसार संशोधित एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30/07/2000 में स्वीकृत तथा शासनादेश संख्या 2270/सत्तर-1-2003-15(2), दिनांक 01 सितम्बर 2003 एवं शासनादेश संख्या-2349/सत्तर-1-2003-(5) (2) (1)/1994, दिनांक 8 सितम्बर 2003 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-08/सत्तर-1-2012 उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार संशोधित तथा कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20/09/2013 में स्वीकृत छात्रसंघ संविधान की धारा 14.1.3 में निर्वाचनाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा छात्रसंघ निर्वाचन 2013-14 की अधिसूचना निर्गत की जाती है। अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही आचार संहिता प्रभावी मानी जायेगी। निर्वाचन कार्यक्रम का विवरण अधोलिखित है-

क्र० सं०	कार्यक्रम विवरण	दिनांक	समय	स्थान
1.	अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन	23/09/2013	अपराह्न 5.00 बजे के बाद	
2.	नामांकन	24/09/2013	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक	शताब्दी भवन
3.	नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन	24/09/2013	अपराह्न 4.00 के बाद	शताब्दी भवन
4.	वैध/अवैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन, नामांकन पत्रों तथा संलग्न अभिलेखों की जांच के उपरांत	26/09/2013	अपराह्न 4.00 के बाद	शताब्दी भवन
5.	नामांकन वापसी	28/09/2013	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक	शताब्दी भवन
6.	नामांकन वापसी के बाद वैध प्रत्याशियों की पदवार सूची का प्रकाशन	28/09/2013	अपराह्न 4.00 के बाद	शताब्दी भवन
7.	मतदान	03/10/2013	प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक	शताब्दी भवन
8.	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	03/10/2013	अपराह्न 4.00 के बाद	शताब्दी भवन

(विनीता सिंह)  
निर्वाचनाधिकारी

छात्रसंघ निर्वाचन (सत्र 2013-14)

सं.छा.नि./01/2013 दिनांक 21.09.2013

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
3. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
4. विनयाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष।
6. निदेशक, प्रकाशन/अनुसंधान/पुस्तकाध्यक्ष।
7. प्रतिपालक/मुख्यप्रतिपालक, समस्त छात्रावास।
8. सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव।
9. अभियन्ता/सम्पत्ति अधिकारी/प्रेस व्यवस्थापक/उद्यान अधीक्षक/सुरक्षाधिकारी।
10. जनसम्पर्क अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
11. समस्त सूचना पट्ट।

(विनीता सिंह)